तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा.पत्र बाजदायरी संख्या 18/2023 राधाकिशन बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन थी। जिसमें गुजिस्ता तारीख पेशी 15.11.2022 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रकरण वकील व अपीलान्ट के उपस्थित न होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। उक्त उनवानी प्रकरण में अपीलान्ट के वकील श्री महेन्द्र शर्मा, एडवोकेट को नियुक्त कर रखा था व उन्हें हिदायत पैरवी कर रखी थी तथा वो ही प्रकरण में उपस्थित होकर पैरवी करते थे तथा उन्होंने अपीलान्ट को आश्वासन दे रखा था कि जब भी प्रकरण का निस्तारण हो जावेगा या आवश्यकता होगी तब सूचना देकर बुला लिया जावेगा। परन्तु उक्त वकील द्वारा प्रकरण के खारिज होने की जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी। सूचना के अभाव में अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वकील अपीलान्ट श्री महेन्द्र शर्मा के भी अचानक तबीयत खराब हो गई थी व जुकाम व बुखार हो गया था इसलिए वो भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रकरण अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। दिनांक 19.3.2022 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से अपील के संबंध में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि प्रकरण दिनांक 15.11.2022 को ही अदम हाजरी में खारिज हो गया। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 20.03.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल मिलने पर प्रकरण के संबंध में जानकारी हुई। इसलिए यह बाज दायरी का प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील को रेस्टोर कर पुनः सुनवाई कर लिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन 500/—रूपये की कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील अपीलान्ट कोष्ट की राशि राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner